राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (54) शिक्षा–4 / 2002 पार्ट जयपुर, दिनांकः 12.8.2023

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
5. कुलसचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
8. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. कुलसचिव, राजऋर्षि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
12. कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
15. कुलसचिव, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर।
16. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।

विषयः– प्रदेश में सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने बाबत।

महोदय,

उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की कियान्विति की स्थिति, विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी करने, चालू सत्र के लिए प्रवेश की स्थिति, बजट घोषणाओं की कियान्विति तथा छात्रसंघ चुनाव एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों की पालना आदि विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु दिनांक 12.8.2023 को उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालयों के बैठक में उपस्थित सभी कुलपतिगण द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न घटकों को लागू करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। इस दिशा में अभी व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। एकेडमिक बैक ऑफ केडिट में छात्रों का पंजीकरण, सेमेस्टर व्यवस्था लागू करने, इंस्टीट्यूशनल डवलपमेंट प्लान, नैक द्वारा प्रत्यायन एवं शिक्षा की गुणवत्ता आदि कार्य प्रगति पर हैं। विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों में देरी, नवीन महाविद्यालयों के खोले जाने, प्रवेश प्रक्रिया में विलम्ब के कारण न्यूनतम 180 दिवस अध्यापन कार्य करवाना चुनौतिपूर्ण है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता है।

शिक्षा की गुणवत्ता हेतु उपरोक्त किये जा रहे कार्यों के दृष्टिगत कुलपतिगण द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023–24 में छात्रसंघों के चुनाव नहीं करवाये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 2004 से 2009 तक छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाये गये थे। वर्ष 2010 से छात्रसंघ चुनाव करवाये जा रहे हैं। कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण 2020 एवं 2021 में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाये गये।

कुलपतिगणों द्वारा विद्यार्थियों के छात्रसंघ चुनावों में धनबल एवं भुजबल का खुलकर प्रयोग करने तथा लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन होने की स्थिति स्पष्ट की गई। यदि छात्रसंघ चुनाव कराये जाते हैं तो शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावित होने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सेमेस्टर सिस्टम लागू करने में अत्यधिक असुविधा रहेगी।

अतः राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के बैठक में उपस्थित सभी कुलपतिगणों द्वारा व्यक्त किये गये मन्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा व्यापक छात्रहितों में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र 2023–24 में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने का निर्णय लिया गया है।

यह राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
6. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, गृह, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, सस्कृत शिक्षा, आयुर्वेद, श्रम एवं नियोजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
7. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों के अलावा)
8. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
9. कुलसचिव, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।
10. प्रभारी, वेबसाईट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा